

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 171 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 अप्रैल 2019—वैशाख 10, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2019

फा. क्र. 2638-2019-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रदेश के विदिशा जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेषित संलग्न सूची के अनुसार अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट / जोनल अधिकारी के रूप में लोकसभा निर्वाचन 2019 का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है, और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संतोष प्रसाद शुक्ल, अतिरिक्त सचिव.

**दिनांक 29.04.19 को विधि विभाग को भेजे जाने वाले  
प्रस्ताव के संबंध में जिलों से आये पत्रों की सूची**

क्रमांक	जिले का नाम	पत्र क्रमांक	दिनांक
1	विदिशा	2504	27.04.2019

**लोकसभा निर्वाचन-2019**

**विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने बाबत प्रस्ताव**

**जिले का नाम :- विदिशा**

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा / संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाया प्रस्तावित
1	श्री पंकज बानखेडे मो. 9424484835	खनिज निरीक्षक	खनिज विभाग विदिशा	द्वितीय	सम्पूर्ण जिला
2	श्री सुमित गुप्ता मो. 9039568097	खनिज निरीक्षक	खनिज विभाग विदिशा	द्वितीय	सम्पूर्ण जिला
3	श्री मेहताब सिंह रावत मो. 9893354868	प्रभारी खनिज अधिकारी	खनिज विभाग विदिशा	द्वितीय	सम्पूर्ण जिला
4	श्री ललित कुमार निगम मो. 9479967321	सहा. प्रबंधक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र विदिशा मुख्यालय लटेरी	द्वितीय	सम्पूर्ण जिला
5	श्री उमेश सोनी, मो. 9827929036	वरिष्ठ अध्यापक	उ.मा.वि. सिरोंज	तृतीय	सम्पूर्ण जिला

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-विदिशा.